

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

### जनपद सीतापुर।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) बी० के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं में जनपद सीतापुर के पुलिस विभाग के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है –

#### **1. पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण:-**

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार के अधीन जिला पुलिस का कार्य निहित होगा, जिसके अधीन ऐसा ज़िला होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी, या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिक्रमित या नियंत्रित करने के लिये सशक्त नहीं किया जायेगा।

पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गों में सद्भाव कायम रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों व संस्थानों की सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा करना है। लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करना तथा अनुमति देना व सार्वजनिक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखना है।

जनपद सीतापुर में जनपद पुलिस, पुलिस अधीक्षक, जनपद सीतापुर के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करती है। जनपद में 02 अपर पुलिस अधीक्षक, 07 पुलिस उपाधीक्षक व 26 निरीक्षक/थानाध्यक्षों के पद सृजित हैं। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर, सदर, बिसवां व लहरपुर कार्य करते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी सिघौली, मिश्रित एवं महमूदाबाद कार्य करते हैं। क्षेत्राधिकारी अपराध, जनपद में घटित अपराधों एंवम अपराधियों के सम्बंध में समीक्षा कर त्वरित कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश निर्गत करते हैं तथा क्षेत्राधिकारी यातायात, जनपद में यातायात व्यवस्था सम्बंधी कार्यों का सम्पादन करते हैं।

#### **1.1. जनपद में पुलिस का संगठन –**

जनपद में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है—

| पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, | क्षेत्राधिकारी— क्षेत्र  | नाम थाना  |
|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1.अपर पुलिस अधीक्षक,(उत्तरी)     | 1.क्षेत्राधिकारी नगर।    | 1. थाना कोतवाली<br>2. थाना रामकोट<br>3. थाना खैराबाद<br>4. महिला थाना |
|                                  | 2.क्षेत्राधिकारी सदर।    | 5. थाना महोली<br>6. थाना इ०सु०पुर<br>7. थाना हरगांव                   |
|                                  | 3.क्षेत्राधिकारी लहरपुर। | 8. थाना लहरपुर<br>9. थाना तालगांव<br>10. थाना मानपुर                  |
|                                  | 4.क्षेत्राधिकारी बिसवां। | 11. थाना बिसवां<br>12. थाना रेउसा<br>13. थाना सकरन<br>14. थाना तम्बौर |

|                               |                          |                       |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2.अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) | 5.क्षेत्राधिकारी सिधौली। | 15. थाना सिधौली       |
|                               |                          | 16. थाना कमलापुर      |
|                               |                          | 17. थाना अटरिया       |
| 6.क्षेत्राधिकारी मिश्रित।     |                          | 18. थाना रामपुर कलां  |
|                               |                          | 19. थाना मिश्रित      |
|                               |                          | 20. थाना मछरेहटा      |
| 7.क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद।   |                          | 21. थाना पिसावां      |
|                               |                          | 22. थाना संदना        |
|                               |                          | 23. थाना महमूदाबाद    |
|                               |                          | 24. थाना थानगांव      |
|                               |                          | 25. थाना सदरपुर       |
|                               |                          | 26. थाना रामपुर मथुरा |

## 1.2 जनपद में स्थित विभिन्न ईकाईयों के कार्यों के पर्यवेक्षण अधिकारी

| क्र.सं. | ईकाई का नाम   | पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकारी   | पर्यवेक्षक पुलिस अधीक्षक                       |
|---------|---|-----------------------------|--|
| 1       | वायरलेस शाखा  | सहायक रेडियो अधिकारी        | अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी सीतापुर।              |
| 2       | स्थानीय अभिसूचना इकाई   | पुलिस उपाधीक्षक नगर         | अपर पुलिस अधीक्षक(दक्षिणी) सीतापुर।            |
| 3       | फायर सर्विस   | मुख्य अग्निशमन अधिकारी      | अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी सीतापुर।             |
| 4       | नगर नियंत्रण कक्ष   | क्षेत्राधिकारी लाइन्स       | अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी सीतापुर।             |
| 5       | यातायात पुलिस   | क्षेत्राधिकारी नगर          | अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी सीतापुर।             |
| 6       | नारकोटिक्स सेल  | क्षेत्राधिकारी नगर          | अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी सीतापुर।             |
| 7       | वी0आई0पी0   |                             | अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी सीतापुर।             |
| 9       | पुलिस लाइन्स  | क्षेत्राधिकारी नगर / लाईन्स | अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी सीतापुर।             |
| 10      | भवन   | क्षेत्राधिकारी लाइन्स       | पुलिस अधीक्षक सीतापुर।                         |
| 11      | मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, पिछड़ावर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, एससी / एसटी आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग |                             | अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) / (उत्तरी) सीतापुर |
| 12      | फील्ड यूनिट   | क्षेत्राधिकारी लाईन्स       | पुलिस अधीक्षक सीतापुर।                         |
| 13      | पत्र व्यवहार शाखा   | क्षेत्राधिकारी मुख्यालय     | अपर पुलिस अधीक्षक(दक्षिणी) सीतापुर।            |
| 14      | आंकिक शाखा  | क्षेत्राधिकारी नगर          | अपर पुलिस अधीक्षक(दक्षिणी) सीतापुर।            |
| 15      | विशेष जांच प्रकोष्ठ   |                             | अपर पुलिस अधीक्षक(दक्षिणी) सीतापुर।            |
| 16      | महिला सहायता प्रकोष्ठ   |                             | अपर पुलिस अधीक्षक(दक्षिणी) सीतापुर।            |
| 17      | डी0सी0आर0बी0  | क्षेत्राधिकारी नगर          | पुलिस अधीक्षक सीतापुर।                         |
| 19      | सम्मन सेल   | क्षेत्राधिकारी मुख्यालय     | अपर पुलिस अधीक्षक(दक्षिणी) सीतापुर।            |
| 20      | गुमशुदा प्रकोष्ठ  | क्षेत्राधिकारी मुख्यालय     | पुलिस अधीक्षक सीतापुर।                         |
| 21      | जन सूचना प्रकोष्ठ   | क्षेत्राधिकारी मुख्यालय     | अपर पुलिस अधीक्षक(दक्षिणी) सीतापुर।            |

पुलिस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ रहेगा और उसे ज़िले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है, कि वह पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियमों एवं कानूनों तथा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों एवं वारण्टों का पालन एवं निष्पादन करे, लोक शांति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करे, अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करें, अपराधियों का पता लगाये और न्यायालय के समक्ष लायें।

### 2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य:-

पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, द०प्र०सं०, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत पुलिस के अधिकारियों/ कर्मचारियों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं :-

## 2.1 पुलिस अधिनियम :

| धारा | अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य  |
|------|--|
| 7    | आन्तरिक अनुशासन बनाये रखने हेतु राजपत्रित अधिकारियों को किसी समय अधीनस्थ पदों के ऐसे किसी अधिकारी को दण्डित करने की शक्ति होती है, जो कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल एवं उपेक्षावान पाये जायें।  |
| 17   | विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शान्ति भंग हुई हो या होने की गम्भीर संभावना हो, तो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति होती है।   |
| 22   | पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ माने जाते हैं तथा उन्हें जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है।  |
| 23   | प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों का पालन व निष्पादन करें, लोक शान्ति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह करें, अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करें, अपराधियों का पता लगायें तथा उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करें, जिनको गिरफ्तार करने के लिए वैधता प्राधिकृत है तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान हैं। इसके लिए उसे बिना वारण्ट किसी शराब की दुकान, जुआ घर या भ्रष्ट या उदण्ड व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा। |
| 25   | लावारिस सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में लें तथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें तथा नियमानुसार उस सम्पत्ति को निरस्तारित करेंगे।  |
| 30   | लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुमति देने की शक्ति।   |
| 30क  | उपरोक्त अनुमति की शर्तों के उल्लंघन करने पर थाने के भार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जुलूस या किसी जमाव को रोकने या बिखर जाने के आदेश देने की शक्ति।  |
| 31   | सार्वजनिक सड़कों व मार्गों, आम रास्तों, घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य।   |
| 34   | किसी व्यक्ति द्वारा किसी ढोर का बध करने, उसे निर्दयता से मारने या यातना देने, ढोर गाड़ी से यात्रियों को बाधा पहँचाने, मार्ग पर गन्दगी व कुड़ा फेंकने, मतवाले या उपद्रवी व्यक्तियों द्वारा शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन करने पर, किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट के अभिरक्षा में ले लें।  |
| 34 क | उपरोक्त अपराध के शमन करने की शक्ति राजपत्रित पुलिस अधिकारियों में निहित है।  |
| 47   | ग्राम चौकीदारों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व।  |

## 2.2 पुलिस रेगुलेशन :-

| प्रस्तर                | कर्तव्य  |
|------------------------|--|
| 12 से 16 पुलिस अधीक्षक | <p>पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल के प्रधान होते हैं वे अधीनस्थ पुलिस बल के दक्षता, अनुशासन एवं कर्तव्यों के पालन के लिए दायित्वाधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी संव्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही किये जाते हैं।</p> <p>पुलिस अधीक्षक यदि मुख्यालय पर उपस्थित हैं तो जनता की समस्या सुनने के लिए कार्यालय में बैठेंगे उन्हे स्वतन्त्रतापूर्वक वैचारिक संसूचना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए सूचना के जितने साधन होंगे तदनुरूप उनकी दक्षता होगी। पुलिस पेंशनर्स से उनका संपर्क होना चाहिए और उन्हें विनिर्दिष्ट रीति से जिले में थानों व पुलिस लाइन का निरीक्षण करना चाहिए। आबकारी विषयों पर आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत मौजूदगी एवं पर्यवेक्षण आवश्यक है।</p> <p>पड़ोसी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से यथासम्भव वर्ष में एक बार भेंट आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा शासकीय आदेश की पुस्तिका में जिले का प्रभार सौंपें जाने वाले राजपत्रित अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार किये जाने संबंधित अंतर्विष्ट अनुदेशों का अनुसरण किया जाना चाहिए।</p> |
| 17 सहायक पुलिस         | सहायक पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किसी   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| अधीक्षक एवं<br>उपाधीक्षक      | भी उस कार्य को किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से विधि व नियमों द्वारा पुलिस अधीक्षक के लिए बाध्यकारी न हो।  |
| 18 से 23<br>प्रतिसार निरीक्षक | प्रतिसार निरीक्षक के रिजर्व पुलिस लाइन के भार साधक अधिकारी होते हैं जो कि जगानों की साज सज्जा, अनुशासन, प्रशिक्षण के उत्तरदायी होंगे। आयुध व बारूद की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं।  |
| 24 रिजर्व<br>सबइंस्पेक्टर     | रिजर्व सब इन्स्पेक्टर प्रतिसार निरीक्षक की सहायता हेतु नियुक्त होते हैं जो गार्ड एवं स्कोर्ट को निर्देशित करने, यातायात नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था के संबंध में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदेशित प्रत्येक आवश्यक कार्य को करते हैं।   |
| 40 से 43<br>सर्किल इंस्पेक्टर | सर्किल इंस्पेक्टर के कर्तव्यों के संबंध में उल्लेख है, जिसमें उसका प्रमुख कर्तव्य जांच पड़ताल की देख—भाल और अपराध का निवारण करना, पुलिस क्षेत्र में निवारक और अनुवेषण कार्यों में सामन्जस्य रखना, थानों का निरीक्षण करना, सभी महत्वपूर्ण विषयों, घटना स्थलों का निरीक्षण व अन्वेषण में मार्गदर्शन करना, स्वयं अन्वेषण करना, क्षेत्र की मासिक रिपोर्ट तैयार करना, पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक आवश्यक घटना की सूचना देना, लाइन्सेसी दुकानों का निरीक्षण करना, अधिनस्थ पुलिस के आचरण की निगरानी करना, अपराधों का दमन और सामन्जस्य बनाये रखने के उत्तरदायित्व से निरन्तर आबद्ध रहना। (वर्तमान में सर्किल इंस्पेक्टर का पद विभाग में नहीं है इन कार्यों का निर्वहन क्षेत्राधिकारी के द्वारा यथा निर्देशित रूप में किया जाता है।) |
| 43 से 50<br>थानाध्यक्ष        | थानाध्यक्ष अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन का संचालन करता है तथा बल की सभी शाखाओं पर प्राधिकार रखता है। वह सभी रजिस्टरों, अभिलेखों, विवरणियों और रिपोर्टों की शुद्धता के लिए अधिनस्थों के प्रति दायित्वाधीन होगा। उसे क्षेत्र के सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से सुपरिचित एवं उनके प्रति मैत्रीपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। उसे थाने की परिधि के अन्दर बुरे व्यक्तियों की निगरानी समुचित तरीके से करते रहना चाहिए। थाने पर किसी भी अधिकारी के न उपस्थित होने पर सीनियर कांस्टेबिल थाने का भार साधक अधिकारी होगा किन्तु वह तफ्तीश नहीं करेगा। थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर पुलिस फार्म न0 299 भरकर पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजेंगे।   |
| 51                            | थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्रातः कालीन परेड कराना, भारसाधक अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त निर्देशों को अधीनस्थों को बताना, अन्वेषण करना होता है।  |
| 55<br>हेड मोहर्रिं            | हेड मोहर्रिं के कर्तव्य <ul style="list-style-type: none"> <li>i) रोजनामचा आम और अपराधों की प्रथम सूचना लिखना।</li> <li>ii) हिन्दी रोकड़ बही (पुलिस फार्म न0 224)</li> <li>iii) यदि पुलिस अधीक्षक आदेश दें तो धारा 174 द०प्र०सं0 के अन्तर्गत पंचायतनामा लिखना।</li> </ul>   |
| 61 से 64<br>बीट आरक्षी        | कान्स0 नागरिक पुलिस द्वारा जनता की समस्याओं पर नम्रता पूर्वक विचार करना चाहिए। उनका मूल कर्तव्य अपराधों की रोकथाम करना है। थाने पर सन्तरी डयूटी के समय वह अभिरक्षाधीन कैदियों, कोष तथा मालखाना एवं थाने के अन्य सम्पत्तियों की रक्षा करेगा। बीट कान्स0 के रूप में संदिग्ध अपराधियों, फरार अपराधी तथा खानाबदेश अपराधियों की सूचना प्रभारी अधिकारी को देगा।   |
| 65 से 69<br>सशस्त्र पुलिस     | सशस्त्र पुलिस के रूप में खजानों, हवालातों के संरक्षक, कैदियों और सरकारी सम्पत्ति की रास्ते में देखभाल, आयुध भण्डार, अपराध दमन तथा खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा करना मूल दायित्व है।  |
| 79 से 83<br>घुड़सवार          | घुड़सवार पुलिस द्वारा उत्सवों या अन्य आयोजनों में भीड़ नियंत्रण का कार्य किया जाता है।  |
| 89 से 96<br>चौकीदार           | ग्राम चौकीदार द्वारा अपने प्रभाराधीन गाँवों की देखरेख करना, अपराध एवं अपराधियों की सूचना देना व विधि के प्राधिकार के अधीन अपराधियों को गिरफ्तार कराने का दायित्व होता है।   |

### 2.3 दण्ड प्रक्रिया संहिता:-

| द.प्र.सं.<br>की<br>धारा | अधिकारियों/ कर्मचारियों के कर्तव्य  |
|-------------------------|---|
| 36                      | पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाने क्षेत्र में नियुक्त हैं उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा किया जाता है।  |
| 41                      | बिना वारण्ट की गिरफ्तारी निम्नलिखित दशाओं में करने की शक्तियाँ।<br>1. संज्ञेय अपराध की दशा में।<br>2. कब्जे से गृह भेदन का उपकरण।<br>3. उद्घोषित अपराधी।<br>4. चुराई गयी सम्पत्ति की संभावना।<br>5. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा।<br>6. सशस्त्र बलों का भगोड़ा।<br>7. भारत के बाहर भारत में दण्डनीय किया गया अपराध।<br>8. छोड़े गये सिद्धदोष बन्दी द्वारा नियम उल्लंघन पर।<br>9. वांछित अपराधी। |
| 42                      | नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी।   |
| 47                      | उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है।  |
| 48                      | गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति।   |
| 49                      | गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उतने से अधिक अवरुद्ध नहीं किया जायेगा जितना की उसके निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।  |
| 50                      | गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तार के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना।  |
| 51                      | गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी।  |
| 52                      | गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अकामक आयुधों को अधिग्रहण करने की शक्ति।  |
| 53                      | पुलिस अधिकारी के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।   |
| 54                      | गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।   |
| 56                      | गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना अधिकारिता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।   |
| 57                      | गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध न रखना।  |
| 58                      | बिना वारण्ट गिरफ्तारारियों की सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देना।   |
| 60                      | अभिरक्षा से भागे अभियुक्तों को सम्पूर्ण भारत में कहीं भी गिरफ्तार की शक्ति।   |
| 100                     | बन्द स्थान के भार साधक व्यक्ति, उस अधिकारी को जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है, तलाशी लेने देंगे।  |
| 102                     | ऐसी वस्तुओं को अभिग्रहीत करने की शक्ति जिनके सम्बन्ध में चोरी की हुई होने का सन्देह हो।   |
| 129                     | उपनिरीक्षक व उससे उच्च समस्त अधिकारियों को, पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने की शक्ति।  |
| 130                     | ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग।   |
| 131                     | जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के राजपत्रित अधिकारियों की शक्ति।  |
| 132                     | धारा 129, 130, 131 के अधीन सद्भावना पूर्वक किये गये कार्यों के सन्दर्भ में अभियोजन से संरक्षण।  |
| 149                     | प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करेगा।   |

|     |  |
|-----|--|
| 150 | संज्ञेय अपराधों के किये जाने की परिकल्पना की सूचना।  |
| 151 | उक्त के सन्दर्भ में बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार।   |
| 152 | लोक सम्पत्ति की क्षति रोकने का अधिकार।   |
| 153 | खोटे बॉट मार्पों का निरीक्षण / अधिग्रहण।   |
| 154 | संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के निर्देशा— नुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है। |
| 155 | असंज्ञेय मामलों में थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसी इत्तिला का सार संबंधित पुस्तिका में प्रविष्ट करायेगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्दिष्ट करेगा।  |
| 156 | संज्ञेय मामलों अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।   |
| 160 | अन्वेषण के अन्तर्गत साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।   |
| 161 | पुलिस द्वारा साक्षियों का परीक्षण किये जाने की शक्ति।  |
| 165 | अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ली जा सकती है जो अन्वेषण के प्रायोजन के लिए आवश्यक हो। तलाशी एवं जफ्ती के कारणों को लेखबद्ध किया जायेगा।  |
| 166 | अन्वेषणकर्ता अन्य पुलिस अधिकारी से भी तलाशी करवा सकता है।  |
| 167 | जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेषण न पूरा किया जा सके तो अभियुक्त का रिमाण्ड लेने की शक्ति।  |
| 169 | साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़ा जाना।  |
| 170 | जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो मामलों को मजिस्ट्रेट के पास विचारण के लिए भेज दिया जाना।   |
| 172 | अन्वेषण में की गयी कार्यवाहियों को केस डायरी में लेखबद्ध किया जाना।  |
| 173 | अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना।   |
| 174 | आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा करना और रिपोर्ट देना।   |
| 175 | धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के प्रायोजन से व्यक्तियों को समन करने की शक्ति।  |
| 176 | पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्यु समीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।  |

#### 2.4 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानव अधिकार संरक्षण संबंधी निर्देश:—

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी०के० बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के वाद के निर्णय में गिरफ्तारी या निरुद्धीकरण के प्रकरणों में पुलिस जनों के निम्नलिखित दायित्व अवधारित किये गये हैं।

1. गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारकर्ता पुलिस अधिकारी को अपने पद सहित नाम पट्टिका धारण की जानी चाहिए। गिरफ्तारी का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाये।
2. गिरफ्तारी की फर्द गिरफ्तारी के मौके पर ही तैयार की जायेगी जो क्षेत्र के सभान्त व्यक्ति अथवा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित होगी। गिरफ्तार व्यक्ति के प्रति पर हस्ताक्षर होंगे व एक प्रति उसे निःशुल्क दी जायेगी।
3. पुलिस अभिरक्षा में उसे अपने रिश्तेदार या मित्र से मिलने दिया जायेगा तथा उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके निकट संबंधी को दी जायेगी।
4. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के रिश्तेदार को निरुद्ध रखने के स्थान के बारे में बताया जायेगा।
5. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अवगत कराया जायेगा कि उसे अपनी गिरफ्तारी के संबंध में सूचित करने वह अधिकृत है।
6. गिरफ्तारी की सूचना को थाने के गिरफ्तारी रजिस्टर में ही अंकित किया जायेगा।
7. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के अनुरोध पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
8. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की प्रत्येक 48 घण्टे पर प्रशिक्षित डाक्टर से चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
9. गिरफ्तारी के सभी अभिलेखों की प्रतियां क्षेत्रीय दण्डाधिकारी के पास भेजी जाएंगी।

10. जांच काल में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।
11. गिरफ्तारी की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष में नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जाएगी।

## **2.5 अपर पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्वः—**

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के परिपत्र संख्या 35/2005 दिनांक 9 जुलाई, के द्वारा जनपद नियुक्ति के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक की शक्तियों और दायित्वों का निर्धारण किया गया है।

### **2.5.1 कर्तव्यः—**

#### **2.5.1.1 संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही संबंधीः—**

1. संगठित अपराधियों तथा भाडे पर हत्या, फिराती हेतु अपहरण, रोल्ड होल्डअप, बैंक डकैती, आटोलिफ्टर, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, हवाला व्यापार करने वाले, नक्सलवादी गैंग एवं राष्ट्र विरोधी तत्व, माफिया आदि को चिन्हित कर उनकी गैंगवार सूची तैयार करना एवं तत्संबंधी सभी सूचनायें एकत्र कर उन्हें पंजीकृत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना।
2. पंजीकृत अपराधियों का डोजियर तैयार करना।
3. संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्ययोजना तैयार करके जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
4. संगठित अपराधियों की गिरफ्तारी होने पर विस्तृत पूछ-तोछ आख्या तैयार करना।

#### **2.5.1.2 सक्रिय एवं वांछित अपराधी संबंधी :-**

1. सक्रिय एवं वांदित अपराधियों की सूची तैयार करना, हिस्ट्रीशीट खुलवाना, गिरफ्तारी हेतु कार्ययोजना बनाकर दबिश दिलवाना।
2. फ्राड अपराधियों के विरुद्ध पुरस्कार घोषित करवाना।

#### **2.5.1.3 अपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण :-**

1. पेशेवर अपराधियों की अभिसूचना एकत्रिकरण हेतु स्रोत बनाना।
2. जेल में बन्द पेशेवर अपराधियों की जानकारी करना।
3. जेल से छूटने वाले पेशेवर अपराधियों की निगरानी।
4. अन्य माध्यमों से अपराधिक अभिसूचना एकत्रीकरण।

#### **2.5.1.4 विशेष अपराधों के संबंध में :-**

1. समस्त विशेष अपराधों के घटना स्थल का निरीक्षण।
2. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचनाओं की पर्यवेक्षण आख्या।
3. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना वाले एस0आर0 केस, राजनीतिक हत्या, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की हत्या, बलात्कार के साथ हत्या, ऐसी हत्या जो सामान्य कानून को प्रभावित करती हो, डकैती, फिराती, अपहरण, हत्या सहित लूट, सनसनीखेज लूट, पुलिस अभिरक्षा से पलायन, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, गैगस्टर एकट के केसों को छोड़कर शेष समस्त एस0आर0 केस की कमागत आख्या का अनुमोदन (प्रथम व अन्तिम को छोड़कर) अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।  
य—क्षेत्र के थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।  
र—फिक्स पिकेट एवं गश्त की योजना बनाकर प्रभावी व्यवस्था करना।  
ल—क्षेत्र के समस्त थानों का दो माह में एक बार अर्दली रूम करना।

#### **2.5.1.5 अभियोजन न्यायालय में लंबित वादों की प्रभावी पैरवी, पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिं की मासिक बैठक तथा सेशन ट्रायल अभियोगों में विमुक्ति आख्या का विश्लेषण करना।**

## **2.5.2 अपर पुलिस अधीक्षकों के अधिकारः— 2.5—उपरोक्तानुसार**

### **2.5.2.1 स्थानान्तरण संबंधी –**

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या एक-252-84 दिनांक: 08.01.1985 के प्रस्तर 5 के बिन्दु सं० 4 में निहित निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही स्थानान्तरण के संबंध में की जायेगी।

### **2.5.2.2. वार्षिक मन्त्रव्य-**

शासनादेश संख्या: 1460 / छः—पु—1—99—51 / 99 के अनुसार वार्षिक मन्त्र का अंकन करना।

### **2.5.2.3. दण्ड सम्बन्धी:-**

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रचलित नियमावली के अनुरूप अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच करायी जा सकती है परन्तु जांच आख्याओं पर दण्ड पत्रावली खुलवाने का अधिकार जनपदीय पुलिस अधीक्षक प्रभारी का ही होगा।

## **2.6 संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य विविध अधिनियमों और**

### **शासनादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तथा उनसे अपेक्षित कर्तव्य:-**

संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य अधिनियमों व शासन व उच्चाधिकारी स्तर से समय—समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी पुलिस बल को दिशा—निर्देशन प्राप्त होते रहते हैं जिनके आधार पर पुलिस बल से अपेक्षित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

### **3. निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तरः—**

#### **3.1 अनुसंधान/विवेचना**

| क्र० सं० | कार्यवाही                                       | कार्य स्तर   | अवधि               |
|----------|---|--|--------------------|
| 1        | प्र०सू०रि० का पंजीकरण                           | 154द०प्र०सं० के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इतिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इतिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इतिला डाक द्वारा दी जा सकती है। | अविलम्ब            |
| 2        | साक्षियों का परीक्षण                            | 161 द०प्र०सं० के अनुसार  | यथाशीघ्र           |
| 3        | अन्वेषण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण            | द०प्र०सं० के अनुसार  | यथाशीघ्र           |
| 4        | पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण | विशेष अपराधों की स्थिति में संबंधित क्षेत्राधिकारी व अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है।   | यथाशीघ्र           |
| 5        | साक्ष्य का संकलन                                | द०प्र०सं० के अनुसार  | कार्यवाही यथाशीघ्र |
| 6        | नक्शा नज़री तैयार करना                          | द०प्र०सं० के अनुसार  | निरीक्षण के समय    |
| 7        | अभियुक्तों की गिरफ्तारी                         | द०प्र०सं० के अनुसार  | „                  |
| 8        | संस्कीर्ति का लिखा जाना                         | „  | „                  |
| 9        | पुलिस/ न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड प्राप्त करना | „  | „                  |
| 10       | तलाशी   | „  | „                  |
| 11       | निरुद्धि  | „  | „                  |
| 12       | अभियोग दैनिकी का तैयार किया जाना                | „  | „                  |
| 13       | आरोप पत्र का दाखिल करना                         | „  | „                  |

### 3.2 नियन्त्रण कक्ष:-

जनपद के नियन्त्रण कक्ष कमाण्ड और कन्ट्रोल संघटक के रूप में जनपद के तंत्रिका तन्त्र की तरह कार्य करता है, जो कानून व्यवस्था, अपराध, यातायात समस्या व अन्य संगत समस्यों की सूचना प्राप्त करता है तथा स्थानीय पुलिस को उस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश देता है। बाढ़ व अन्य दैवीय अपदाओं के सम्बन्ध में तत्परता से कार्य करता है। जनपद में वर्तमान में निम्नलिखित नियन्त्रण कक्ष स्थापित हैं।

| क्र. स. | नियन्त्रण कक्ष      | टेलीफोन नं०  | कार्य  |
|---------|---------------------|--------------|--|
| 1       | जिला नियन्त्रण कक्ष | 05862-243233 | जनपद के संबंध में सूचनाओं को प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही हेतु संबंधित को तत्काल अवगत कराया जाता है।   |
| 2       | नगर नियन्त्रण कक्ष  | 112          | नगर नियन्त्रण कक्ष शहर के संबंध में सूचनाओं को प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही हेतु संबंधित को तत्काल अवगत कराया जाता है। नगर नियंत्रण कक्ष के सम्पर्क में 01 एम्बूलेंस (एम्बूलेंस- १११) रहती है, जिसे तत्काल राष्ट्रीय राज मार्ग एवं अन्य जगह पर हुई दुर्घटनाओं के मौके पर रवाना किया जाता है। नगर क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में 07 अंकुश मोबाइलस् हैं जो नगर नियन्त्रण कक्ष के सम्पर्क में रहती हैं। |

इन नियन्त्रण कक्षों पर 24 घन्टे कन्ट्रोल रूम आपरेटर की नियुक्ति रहती है। इन पर दी गयी सूचनाओं को तत्काल लागबूक में लाग किया जाता है तथा संबंधित को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है। वर्षाकाल में बाढ़ नियन्त्रण कक्ष की भी व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जाती है।

### 3.3 शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

#### 3.3.1. थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

| क्र. स. | कार्य   | किसके द्वारा कार्यवाही होगी                         | कार्यवाही की समयावधि |
|---------|---|---|----------------------|
| 1       | थाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्राप्ति स्वीकार करना              | थानाध्यक्ष/ दिवसाधिकारी/ उपस्थित कां० क्लर्क द्वारा | तत्काल               |
| 2       | प्रार्थना पत्र प्रस्तुत वाले का नाम आगन्तुक रजिस्टर में अंकित करना              | दिवसाधिकारी/ उपस्थित कां० क्लर्क द्वारा             | अविलंब               |
| 3       | प्रार्थना पत्र को जनशिकायत रजिस्टर में अंकित करना                               | उपस्थित कां० क्लर्क द्वारा                          | अविलंब               |
| 4       | जाँच अधिकारी नियुक्त करना व जाँच हेतु सौंपना                                    | थाना प्रभारी द्वारा                                 | 1 दिवस               |
| 5       | जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना | जाँच अधिकारी द्वारा                                 | 5 दिवस में           |
| 6       | थानाध्यक्ष द्वारा जाँच की समीक्षा करना  | थानाध्यक्ष द्वारा                                   | 1 दिवस               |
| 7       | जाँच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही, यदि आवश्यक हो, कराना।                        | थानाध्यक्ष द्वारा                                   | अविलंब               |
| 8       | जाँच रिपोर्ट का रखखाव   | सम्बन्धित कां० क्लर्क द्वारा                        | 01 वर्ष तक           |

**3.3.2 पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-**

| क्र० सं० | कार्य   | किसके द्वारा कार्यवाही होगी                                | कार्यवाही की समयावधि  |
|----------|---|--|-----------------------|
| 1        | पुलिस अधीक्षक कार्यालय की प्रधान लिपिक शाखा में उसकी प्राप्ति स्वीकार करना  | सम्बन्धित लिपिक द्वारा                                     | अविलम्ब               |
| 2        | पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं या इस कार्य हेतु निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिफाफे को खोला जाना  | निमित्त राजपत्रित अधिकारी (क्षेत्राधिकारी मुख्यालय )द्वारा | 1 दिवस                |
| 3        | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना   | निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा                           | 1 दिवस                |
| 4        | प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना   | सम्बन्धित लिपिक द्वारा                                     | अविलम्ब               |
| 5        | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच हेतु रखना या सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जाँच हेतु भेजना      | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा                            | 2 दिवस                |
| 6        | क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० वलर्क द्वारा आर्डर बुक करना   | क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० वलर्क द्वारा               | अविलम्ब               |
| 7        | सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच करना या सम्बन्धित उपनिरीक्षक / बीट आरक्षी को जाँच हेतु भेजना। | थानाध्यक्ष द्वारा  | 2 दिवस                |
| 8        | जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना।  | जाँच अधिकारी द्वारा  | 8 दिवस में सामान्यतया |
| 9        | थानाध्यक्ष द्वारा जाँच रिपोर्ट की समीक्षा करके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित करना।  | थानाध्यक्ष द्वारा  | अविलम्ब               |
| 10       | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जाँच सही पाये जाने पर जाँच रिपोर्ट को दाखिल दफतर किया जाना  | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा                            | अविलम्ब               |
| 11       | जाँच रिपोर्ट का रखरखाव  | क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० वलर्क द्वारा               | 02 वर्ष तक            |

**3.3.3 पुलिस अधीक्षक को शासन, आयोगों व अन्य उच्च अधिकारीगणों के स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया :-**

| क्र० सं० | कार्य   | किसके द्वारा कार्यवाही होगी                  | कार्यवाही की समयावधि   |
|----------|---|--|------------------------|
| 1        | पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन करके संबंधित अपर पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी या थानाध्यक्ष को जाँच हेतु आदेशित करना | पुलिस अधीक्षक द्वारा                         | 1 दिवस                 |
| 2        | प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना व संबंधित को जाँच हेतु प्रेषित करना   | सम्बन्धित लिपिक द्वारा                       | अविलम्ब                |
| 4        | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर स्वयं जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना व रिपोर्ट देना          | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी / थानाध्यक्ष द्वारा | 07 दिवस में सामान्यतया |

|   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| 5 | क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष कार्यालय के कां० वलक्क द्वारा आर्डर बुक करना                             | क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष कार्यालय के कां० वलक्क द्वारा | अविलम्ब    |
| 6 | पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर संबंधित को रिपोर्ट प्रेषित करना | पुलिस अधीक्षक द्वारा                                    | 2 दिवस     |
| 7 | जांच रिपोर्ट का रखरखाव   | पुलिस अधीक्षक के गोपनीय कार्यालय के कां० वलक्क द्वारा   | 02 वर्ष तक |

### **3.3.4 जनपद सीतापुर में अग्निशमन नियम:-**

जनपद सीतापुर में फायर सर्विस का संचालन निम्न प्रकार किया जाता है।

#### **3.3.4.1. फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों की प्रक्रिया:-**

| क०सं० | प्रतिष्ठान                          | पत्र/आदेश प्राप्ति का स्थान                 | निरीक्षण (द्वारा) | समयावधि |
|-------|-------------------------------------|---|-------------------|---------|
| 1.    | पैट्रोल / डीजल पम्प                 | जिलाधिकारी कार्यालय से                      | अग्निशमन अधिकारी  | 15 दिवस |
| 2.    | पेटी / डीलर (फुटकर पैट्रोल / डीजल)  | जिलाधिकारी / जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय से | उपरोक्त           | उपरोक्त |
| 3.    | गैस एजेन्सी                         | उपरोक्त                                     | उपरोक्त           | उपरोक्त |
| 4.    | विस्फोटक पदार्थ                     | जिलाधिकारी कार्यालय                         | उपरोक्त           | उपरोक्त |
| 5.    | सिनेमा हाल                          | जिलाधिकारी / मनोरंजनकर अधिकारी कार्यालय     | उपरोक्त           | उपरोक्त |
| 6.    | होटल / ताज / रेस्टोरेन्ट / धर्मशाला | जिलाधिकारी / पर्यटन अधिकारी कार्यालय से     | उपरोक्त           | उपरोक्त |
| 7.    | व्यवसायिक भवन                       | कार्यालय विकास प्राधिकरण / आवास विकास निगम  | उपरोक्त           | उपरोक्त |
| 8.    | फैक्ट्री / शीतगृह                   | कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र                | उपरोक्त           | उपरोक्त |

#### **3.3.4.2. जनपद सीतापुर में कार्यरत फायर सर्विस स्टेशन(नियन्त्रण कक्ष) पर नियन्त्रण सम्बन्धी सूचना:-**

| फायर स्टेशन/<br>नियन्त्रण कक्ष | टेलीफोन नम्बर                             | कार्य   |
|--------------------------------|---|---|
| 1.फायर स्टेशन मुख्यालय सीतापुर | 101, दूरभाष नम्बर 05862-242555,9454418081 | जनपद का मुख्य अग्निशमन केन्द्र है शहर के स्वीकृत अग्निशमन वाहन/स्टाफ फायर स्टेशन मुख्यालय पर ही उपलब्ध है। अग्निशमन केन्द्र मुख्यालय के वाचरूम (नियन्त्रण कक्ष) में एक अधिकारी 24 घण्टे उपलब्ध रहता है। फायर स्टेशन पर जनपद में होने वाली अग्नि दूर्घटना जीव रक्षा एवं अन्य देवीय आपदाओं की सूचनाओं पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उपलब्ध वाहनों/स्टाफ (यूनिट) को भेजा जाता है। |
| 2. फायर स्टेशन बिसवां          | 9454418283                                | तहसील बिसवां से एक अग्निशमन केन्द्र स्थापित है, जहाँ से उस क्षेत्र में होने वाली उपरोक्तानुसार सूचनाओं पर तत्काल कार्यवाही की जाती है।  |

|                             |            |   |
|-----------------------------|------------|---|
| 3. फायर स्टेशन<br>लहरपुर    | 9454418485 | तहसील लहरपुर क्षेत्र की उपरोक्तानुसार सूचनाओं की आवश्यकताओं हेतु फायर स्टेशन कार्यशील है। उक्त फायर स्टेशन के वाचरूम में प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाती है।    |
| 4. फायर स्टेशन<br>महमूदाबाद | 9454418687 | तहसील महमूदाबाद क्षेत्र की उपरोक्तानुसार सूचनाओं की आवश्यकताओं हेतु फायर स्टेशन कार्यशील है। उक्त फायर स्टेशन के वाचरूम में प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाती है। |
| 5. फायर स्टेशन<br>सिधौली    | 9454418889 | तहसील सिधौली क्षेत्र की उपरोक्तानुसार सूचनाओं की आवश्यकताओं हेतु फायर स्टेशन कार्यशील है। उक्त फायर स्टेशन के वाचरूम में प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाती है।    |

### **3.3.5 जनपद सीतापुर में यातायात नियम:-उ0प्र शासन,परिवहन**

अनुभाग-4, सं-14 / 2019 / 931 / तीस-4-2019 / 01(सा0) / 2017 लखनऊ दिनांक-07.06.2019 के अनुसार सीतापुर नगर में यातायात नियमों का पर्यवेक्षण पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, सीतापुर द्वारा निम्नानुसार किया जाता है।

#### **3.3.5.1 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व जुर्माना:-**

| क्र०सं० | अपराध का विवरण  | धारा         | अधिकतम जुर्माना व सजा   |
|---------|---|--------------|---|
| 1       | बिना हैलमिट दो पहिया वाहन चलाना   | 129 / 177    | 500 रु0   |
| 2       | किसी दो पहिया वाहन पर दो सवारी से अधिक बैठाना   | 128 / 177    | 300 रु0   |
| 3       | यातायात नियमों का उल्लंघन   | 119 / 177    | 300 रु0   |
| 4       | गाड़ी चलाते समय वाकमैन व मोबाइल प्रयोग करना   | 21,25 / 177  | 500 रु0   |
| 5       | दोषपूर्ण नम्बर पलेट व बिना नम्बर पलेट   | 51,50 / 177  | 300 रु0   |
| 6       | चालक द्वारा विनिर्दिष्ट यातायात संकेतों का उल्लंघन  | 121 / 177    | 300 रु0   |
| 7       | 12 माह से अधिक समय तक अन्य राज्य के रजिस्टरी का उपयोग करना  | 47 / 177     | 300 रु0   |
| 8       | बिना लाइसेंस वाहन चलाना   | 3 / 181      | 2500 रु0  |
| 9       | अनाधिकृत व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस देना  | 3 / 180      | 2500 रु0  |
| 10      | वाहन संचालन के लिए लाइसेंस धारण करने से अपात्र घोषित व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाना। | 182(1)       | 2500 रु0  |
| 11      | मांग किये जाने पर डाइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने में विफल रहना   | 130(1)       | 500 रु0   |
| 12      | अन्य व्यक्ति को डाइविंग लाइसेंस देना  | 6(2)         | 500 रु0   |
| 13      | गति सीमाओं का उल्लंघन कर वाहन चलाना   | 112 / 183(1) | 2000 रु0-हल्के मोटर यान 4000-मध्यम/भारी यात्री यान की दशा में |
| 14      | खतरनाक तरीके से वाहन चलाना  | 184          | 2500 रु0  |
| 15      | शराब पीकर वाहन चलाना  | 185          | 2000 रु0  |
| 16      | मानसिक रूपसे अक्षम व्यक्ति का वाहन चलाना  | 186          | 200 रु0   |

|    |  |               |                    |
|----|--|---------------|--------------------|
| 17 | धनि प्रदूषण,वायु प्रदूषण,प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन,प्रेशन हार्न,कर्कश हार्न,प्रदूषण प्रमाण पत्र का न होना,सनफिल्म | 190(2)        | 2500 रु0           |
| 18 | नो इन्ट्री   | 115 / 194     | 5000 रु0           |
| 19 | ओवरलोड/ओवरहाइट/डाला खुला कर माल लादना  | 113 / 194     | 5000 रु0           |
| 20 | नो पार्किंग  | 126 / 177,122 | 500 रु0            |
| 21 | विधि के निर्देशों का अनुसरण न करना   | 179(1)        | 1000 रु0           |
| 22 | असत्य सूचना देना   | 179(1)        | 1000 रु0           |
| 23 | अपंजीकृत वाहन चलाना  | 39 / 192      | 5000 रु0           |
| 24 | बिना बीमा के वाहन चलाना  | 146 / 198     | 2000 रु0           |
| 25 | चार पहिया वाहन बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना  | 138(3)        | 500 रु0            |
| 26 | हस्ताक्षर करने से मना करना   | 132 / 177     | 500 रु0            |
| 27 | परमिट शर्तों का उल्लंघन करना   | 88 / 192(1)   | 2000 रु0           |
| 28 | बिना फिटनेस वाहन चलाना   | 56 / 192      | 2000 रु0           |
| 29 | बिना परमिट वाहन चलाना,   | 66 / 192      | 2000 रु0           |
| 30 | वहन के पेपर प्रस्तुत करने पर(प्रति पेपर जुर्माना)  | 158           | 100 रु0 प्रति पेपर |
| 31 | बिना प्रपत्रों के वाहन चलाना   | 130           | पेपर के अनुसार     |

उपरोक्त धाराओं में किसी भी वाहन के अभिलेखों को चेक करने तथा संगत अपराध के अनुसार चालान करने की शक्ति जनपद के एफ0आर0ओ0 (प्रोन्नति वेतनमान ) एवं उसके ऊपर के समस्त अधिकारियों में निहित है। अधिनियम के अन्तर्गत उक्त धाराओं के उल्लंघन पर मौके पर ही संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा चालान किया जाता है। तीन प्रतियों में चालान की प्रविष्टियां की जाती है जो कि तीन विभिन्न रंगों की होती है। लाल रंग की प्रति को न्यायालय/क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा जाता है, पीले रंग की प्रति को वाहन चालक को दिया जाता है तथा सफेद प्रति को कार्यालय में रिकार्ड के रूप में रखा जाता है। जनपद में उक्त अधिनियमों में समायोजन संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा 15 दिवस तक किया जाता है। 15 दिवस के अन्दर यदि वाहन चालक समायोजन कराने हेतु उपस्थित नहीं होता है तो संबंधित प्रपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय भेज दिये जाते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या परमिट आदि के बिना उपयोग किये गये वाहनों को निरुद्ध किया जाता है जिनका समायोजन केवल संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होता है।

### 3.3.6 स्थानीय अभिसूचना ईकाई द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया:-

#### 3.3.6.1 एफ0आर0ओ0 (विदेशी पंजीकरण अधिकारी) के संबंध में :-

जनपद के प्रभारी पुलिस अधीक्षक एफ0आर0ओ0 होते हैं जिनके पाक/बंगलादेश व विदेशी नागरिकों के संबंध में अलग-अलग कर्तव्य है।

(अ) विदेशी शाखा/विदेशी नागरिकों के संबंध में :-जो भारत के नागरिक नहीं है वे सभी विदेशी नागरिक हैं जनपद के पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अन्डरडेलीगेटिड पावरस सभी विदेशियों के पंजीकरण एवं वीजा विस्तारण कराते हैं।

वीजा की अवधि के आधार पर दो प्रकार के वीजा होते हैं:-

(1) 180 दिन तक का वीजा। (2) 180 दिन से अधिक समय का वीजा।

(1) सामान्यतः 180 दिन के वीजा धारक विदेशी अपने पंजीकरण, विदेशी पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण हेतु बाध्य नहीं हैं परन्तु पाक व बांगलादेशी एवं अफगान आदि ऐसे राष्ट्रिक देशों के विदेशी नागरिक जिन्हें डेलीगेटिड अथारिटी द्वारा पंजीकरण आदेश के साथ टी0आर0पी0 प्रदान की जाती है, वे सभी अपना रजिस्ट्रैशन उक्त वीजा स्थिति में भी कराने को बाध्य हैं।

180 दिन तक के वीजा धारक विदेशी राष्ट्रिक अथवा किसी भी विदेशी द्वारा जो पाक राष्ट्रिक नहीं है, अपने आगमन के सम्बन्ध में अपने ठहरने के स्थान/होटल के रजिस्टर की सूचना अकिंत करेगें और होटल सचांलक/अथवा जिनके घर पर विदेशी का आगमन हुआ है वह व्यक्ति उस विदेशी के आगमन की सूचना 24 घंटे के अन्दर स्थानीय अभिसूचना इकाई/एफ0आर0ओ0 कार्यालय को देने के लिये बाध्य है

(2) 180 दिन से अधिक के वीजा अवधि पर आये विदेशियों का 14 दिवस के अन्दर पंजीकरण होता है जिसकी सूचना गृह मंत्रालय नई दिल्ली व पुलिस अधीक्षक(एफो) विशाला अभियोगों को प्रेषित की जाती है। विदेशियों के निवास वृद्धि का अधिकार भी एफआरओ में निहित होता है।

(ब) पाकिस्तानी / बांग्लादेशी नागरिको के संबंध में :-

पाक/बंगलादेशी नागरिकों के मामले में एफ0आर0ओ0 सिविल अर्थारिटी के हैसियत से कार्य करते हैं। जनपद में आये हुए पाक नागरिकों का पंजीकरण करके ठहरे हुए अवधि में उनके निगरानी कराते हुए समय से पाक रवाना करने की जिम्मेदारी भी सिविल अर्थारिटी/एस0एस0पी0 की होती है। पाक/बी0डी0 नागरिकों की वीजा वृद्धि करने के संबंध में सभी अधिकार शासन को प्रदत्त है। सिविल अर्थारिटी द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित करने पर एल0टी0वी0 पर रह रहे पाक नागरिकों को इक्सटेन्सन शासन स्तर पर प्राप्त होता है वर्तमान में एस0टी0वी0 पर (180 दिन से कम) आये हुए पाक नागरिकों की वीजा वृद्धि पर शासन द्वारा रोक लगायी गयी है। पाक/विदेशी मामलों से संबंधित कार्यवाही एल0आई0यू0 कार्यालय में स्थिति पाक/विदेशी शाखा से सम्पादित की जाती है जिसमें प्रभारी आमतौर पर एक निरीक्षक या उ0निं0 की नियुक्ति होती है।

### **3.3.6.2. पासपोर्टः—**

(अ) कार्यवाही का चरण :-

पासपोर्ट आवेदन करने वाले व्यक्ति अपना आवेदन पत्रों को निम्नस्थानों पर जमा कर सकते हैं।

1. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय लखनऊ।
  2. कार्यालय जिलाधिकारी सीतापुर।

उक्त जमा आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जांच हेतु प्राप्त होते हैं आवेदन पत्रों को जनपद के सम्बन्धित थानों को जांच हेतु भेजा जाता है जहाँ उनकी जांच (उ0नि0 व हे0कां0(प्रो0) द्वारा की जाती है तथा एल0आई0यू0 में जांच हेतु भेजा जाता है पासपोर्ट आवेदन पत्र के वैयक्तिक विवरणों की जांच एल0आई0यू0 में नियुक्त निरीक्षक / उ0नि0 एव हे0कां0(प्रो0)द्वारा करायी जाती है वैयक्तिक विवरण के पार्ट बी की जांच के उपरान्त संस्तुति / गैरसंस्तुति की आख्या उनके द्वारा अकिंत की जाती है तथा वैयक्तिक विवरण का एक आवेदन पत्र अभिसूचना मुख्यालय से से पार्ट बी की रिपोर्ट हेतु भेजा जाता है। सभी जांच प्रक्रिया पूर्ण होने पर नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर से क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय लखनऊ आख्या भेज दी जाती है। जहाँ से आख्या के आधार पर पारपत्र निर्गत किये जाते हैं।

(ब) कार्यवाही किसके द्वारा अपेक्षित :-

आवेदन पत्र जमा होने के पश्चात् निम्न स्तर पर कार्यवाही होती है।

- (1) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी / जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित जनपदों के पुलिस प्रभारियों को वैयक्तिक विवरण पत्र जांच हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।  
 (2) जनपद पुलिस/एल0आई0यू/अभिसूचना मुख्यालय द्वारा जांच की जाती है। (3) जांच आख्या नोडल अधिकारी (जी0ओ0)के हस्ताक्षर से पासपोर्ट कार्यालय प्रेषित की जाती है

(स) कार्यवाही की अवधि:-

जनपद में प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों की पुलिस/अभिसूचना जॉच रिपोर्ट 20 दिन के अन्दर पासपोर्ट कार्यालय को प्रेषित किया जाने का निर्देश है। इसके पश्चात् पासपोर्ट कार्यालय द्वारा वरियता के आधार पर पासपोर्ट जारी किये जाने का प्राविधान है।

### **3.3.7 सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने से संबंधित प्रक्रिया:-**

शासनादेश संख्या 1773/छ-पु-2-2001-700(1)/2001 दिनांक 25.04.01 के अनुसार गनर/ शैडो की अनुमन्यता हेतु जीवन भय का सही आकलन करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है जिसमें पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक (अभिसूचना) स्थानीय अभिसूचना ईकाई सदस्य होते हैं। जिन व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक हो, जनपदीय समिति द्वारा उनके जीवन भय का आकलन कर स्थानीय स्तर पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था निम्नलिखित मानकों के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है।

### 3.3.7.1. सुरक्षा व्यवस्था संबंधी मानकः—

| श्रेणी  | सुरक्षा का स्तर   | व्ययभार का प्रतिशत                 |
|---|---|------------------------------------|
| सांसद / विधायक  | (क) एक सुरक्षा कर्मी<br>(ख) औचित्य पाये जाने पर एक अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी सादे वस्त्रों में | (क) नि: शुल्क<br>(ख) 25 प्रतिशत पर |
| निवर्तमान सांसद / विधायक  | औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी  | 10 प्रतिशत पर                      |
| प्रदेश स्तरीय शासकीय निगमों के अध्यक्ष / जिलापंचायत अध्यक्ष नगर प्रमुख / कुलपति | औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी  | 10 प्रतिशत पर                      |
| प्रदेश स्तर पर पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष                 | औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी  | 10 प्रतिशत पर                      |
| अन्य किसी व्यक्ति को आवश्यकतानुसार जनपदीय समिति की संस्तुति पर                  | औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी  | 10 प्रतिशत पर                      |
| जघन्य अपराध होने पर पैरवी करने वाला / गवाह                                      | औचित्य पाये जाने पर सुरक्षा कर्मी की सामान्य व्यवस्था                                       | समिति के निर्णय के अनुसार          |

शासनादेश सं0—2301 / 6—पु0—2—2004—700(1)—2001 दिनांक 18.06.04 द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों को पदेन एक गनर निःशुल्क देने का प्राविधान है।

किसी महानुभाव द्वारा सुरक्षा हेतु आवेदन पत्र देने पर जनपदीय द्वारा उसके जीवन भय का आकलन किया जायेगा जनपदीय समिति की संस्तुति पर पुलिस अधीक्षक द्वारा एक माह के लिये सुरक्षा कर्मी स्वीकृत किया जा सकता है जिसे आवश्यकता पड़ने पर एक एक माह दो बार यानी कुल 3 माह तक बढ़ायी जा सकती है। इससे अधिक अवधि के लिये सुरक्षा की आवश्यकता होने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से जनपदीय समिति की संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी जिस पर विचारोपरान्त शासन द्वारा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जायेगा।

जनपद स्तर पर प्रदत्त सुरक्षा व्यवस्था (मान0 सांसद / विधायक / मान0 मंत्री गण उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के मान0 न्यायमूर्ति एवं श्रेणी बद्ध संरक्षित महानुभावों को अनुमन्य सुरक्षा व्यवस्था को छोड़कर) की समीक्षा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक माह की जाती है।

भुगतान पर सुरक्षा कर्मी देने से पूर्व कम से कम एक माह का व्यय भार अग्रिम जमा कराया जायेगा यदि उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व संरक्षित व्यक्ति द्वारा अग्रिम व्यय भार जमा नहीं कराया जाता है तो जमा करायी गयी धनराशि की अवधि समाप्त होते ही सुरक्षा कर्मी वापस ले लिया जाता है।

100 प्रतिशत निजी व्ययभार पर सुरक्षा कर्मी प्रदत्त करने पर ₹0 16130/- प्रतिमाह तथा 10 प्रतिशत पर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने पर ₹0 1613/- प्रतिमाह धनराशि पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 इलाहाबाद के निर्देशानुसार पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में जमा करायी जाती है।

### 3.3.8 शस्त्र लाइसेन्स संस्तुति किये जाने की प्रक्रिया:-

| क्र0 सं0 | कार्य  | किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित             | समय अवधि                                   |
|----------|--|--|--|
| 1        | जिलाधिकारी कार्यालय से शस्त्र प्रार्थना पत्र की प्राप्ति                           | अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी / दक्षिणी           | कार्य दिवस / कार्यालय अवधि में किसी भी समय |
| 2        | संबंधित थाने को अपराधिक इतिहास व आमशोहरत तथा सत्यापन हेतु भेजा जाना                | संबंधित प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष द्वारा | 15 दिवस में                                |
| 3        | डीसीआरबी द्वारा जनपद में किये गये अपराध के संबंध में जांच किया जाना                | प्रभारी डीसीआरबी                             | 03 दिवस में                                |
| 4        | संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच किया जाना                                       | संबंधित क्षेत्राधिकारी                       | 06 दिवस में                                |
| 5        | अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी / दक्षिणी द्वारा जांच किया जाना                           | अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी / दक्षिणी           | 06 दिवस में                                |
| 6        | जिलाधिकारी कार्यालय को लाइसेन्स प्रार्थना पत्र संस्तुति / असंस्तुति सहित भेजा जाना | संबंधित कां0 द्वारा                          | अविलम्ब                                    |

शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के लिये आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो थानाध्यक्ष की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाता है। यह प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पश्चात अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

### **3.3.9. विभिन्न प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया जाने की प्रक्रिया:-**

#### **3.3.9.1. प्राइवेट वेरीफिकेशन**

| क्र0 सं0 | कार्य  | किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित   | समय अवधि          |
|----------|--|--|-------------------|
| 1        | आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना    | प्रधानलिपिक द्वारा   | कार्यालय अवधि में |
| 2        | चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20 रु0 शुल्क के रूप जमा कराया जाना | आवेदक द्वारा रु0 20/- चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में पुलिस हैड में जमा कराया जाता है | अविलम्ब           |
| 3        | चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना                  | कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा   | 1 दिवस            |
| 4        | संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना                         | संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा  | 06 दिवस में       |
| 5        | एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना                            | क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा  | 06 दिवस में       |
| 6        | चरित्र सत्यापन निर्गत किया जाना                                      | निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा   | 01 दिवस में       |

#### **3.3.9.2. पुलिस वेरीफिकेशन:-**

| क्र0सं0 | कार्य  | किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित  | समय अवधि          |
|---------|--|-----------------------------------|-------------------|
| 1       | पुलिस विभाग में चयनित पुलिस कर्मियों के सत्यापन पुलिस कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना | प्रधान लिपिक द्वारा               | कार्यालय अवधि में |
| 2       | चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना  | कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा  | अविलम्ब           |
| 4       | संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना   | संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा | 03 दिवस में       |
| 5       | एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना  | क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा   | 03 दिवस में       |
| 6       | चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना   | निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा    | अविलम्ब           |

#### **3.3.9.3. सर्विस वेरीफिकेशन:-**

| क्र0सं0 | कार्य   | किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित  | समय अवधि          |
|---------|---|-----------------------------------|-------------------|
| 1       | सरकारी विभाग में चयनित सरकारी कर्मियों के सत्यापन सरकारी कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना | प्रधान लिपिक द्वारा               | कार्यालय अवधि में |
| 2       | चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना   | कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा  | अविलम्ब           |
| 4       | संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना  | संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा | 03 दिवस में       |

|   |   |                                 |             |
|---|---|---------------------------------|-------------|
| 5 | एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना | क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा | 03 दिवस में |
| 6 | चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना  | निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा  | अविलम्ब     |

### 3.3.9.4. मिलीट्री सर्विस वेरीफिकेशन:-

| क्र0सं0 | कार्य   | किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित  | समय अवधि          |
|---------|---|-----------------------------------|-------------------|
| 1       | मिलीट्री विभाग में चयनित सैन्य कर्मियों के सत्यापन सैन्य कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना | प्रधान लिपिक द्वारा               | कार्यालय अवधि में |
| 2       | चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना   | कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा  | तत्काल            |
| 4       | संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना  | संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा | 03 दिवस में       |
| 5       | एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना   | क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा   | 03 दिवस में       |
| 6       | चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना  | निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा    | अविलम्ब           |

### 3.3.9.5. ठेकेदारी वेरीफिकेशन:-

| क्र0सं0 | कार्य   | किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित   | समय अवधि          |
|---------|---|--|-------------------|
| 1       | जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र मय शपथ—पत्र के पुलिस कार्यालय में प्राप्त | प्रधानलिपिक द्वारा   | कार्यालय अवधि में |
| 2       | चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित रु0 20/- शुल्क के रूप में जमा कराया जाना  | आवेदक द्वारा रु0 20/- चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक पुलिस हैड में जमा कराया जाता है | अविलम्ब           |
| 4       | चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना                         | कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा   | अविलम्ब           |
| 5       | संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना                                | संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा  | 07 दिवस में       |
| 6       | संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा सत्यापन को संस्तुति / असंस्तुति करना          | संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा  | 07 दिवस में       |
| 7       | एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना                                   | क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा  | 07 दिवस में       |
| 8       | चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना                                    | निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा   | अविलम्ब           |

#### 4. कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मानदण्डः—

##### 4.1. जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार की जांचों के लिए निर्धारित किये गये मापदण्डः—

| क्र०सं० | कार्य  | कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड  |
|---------|--|---|
| 1       | अनुसंधान / विवेचना   | दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में                                    |
| 2       | थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना                           | 07 दिवस   |
| 3       | पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना            | 15 दिवस   |
| 4       | पुलिस अधीक्षक को विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना | 12 दिवस   |
| 5       | फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण  | 15 दिवस   |
| 6       | पासपोर्ट की जाँच   | उ०प्र० शासन के पत्र सं० 616भा/छ: वीजा अनुभाग –4 –2005 – 17/2/ 64/99 दिनांक 21–10–2005 के अनुसार 20 दिवस में |
| 7       | शस्त्र लाइसेन्स की संस्तुति किया जाना  | 30 दिवस   |
| 8       | प्राइवेट वेरीफिकेशन  | 14 दिवस   |
| 9       | पुलिस वेरीफिकेशन   | 06 दिवस   |
| 10      | सर्विस वेरीफिकेशन  | 06 दिवस   |
| 11      | मिलीट्री सर्विस वेरीफिकेशन   | 06 दिवस   |
| 12      | ठेकेदारी वेरीफिकेशन  | 21 दिवस   |

#### 4.2 पुलिस आचरण के सिद्धान्तः—

- भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गये पूर्ण सम्मान करना।
- बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व निष्पक्षता से निष्पादन करना।
- पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तवयों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।
- कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहां तक सम्भव हो समझाने बुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।
- पुलिस जन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।
- पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है।
- प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
- पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सदभाव हृदय में रखना।
- प्रत्येक पुलिस जन विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।
- हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।
- पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना।
- पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।
- सर्वधर्म सम्भाव एवं लोक तांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सोहार्द व भाई चारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।

5. कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख:-  
क्र०सं० अधिनियम, नियम, रेग्युलेशन का नाम:-

- 1 पुलिस अधिनियम 1861
- 2 भारतीय दण्ड संहिता 1861
- 3 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
- 4 उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन 1861
- 5 उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल 1861
- 6 साक्ष्य अधिनियम 1872
- 7 आर्म्स एक्ट 1959
- 8 सिविल अधिकार संरक्षण अधि० 1955
- 9 अनु०जाति व अनु०जनजाति० अधिनियम 1989
- 10 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधि० 1949
- 11 आवश्यक वस्तु अधि० 1955(उ०प्र०संशोधन अधि० 1978)
- 12 चोर बाजारी नि० और आवश्यक वस्तु प्रदृश अधि० 1980
- 13 खाद्य अपमिश्रण नि० अधि० 1954
- 14 उपभोक्ता संरक्षण अधि० 1986
- 15 पशु अतिचार अधि० 1861
- 16 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
- 17 बन्दी अधिनियम 1900
- 18 सर्वाजनिक जुआ अधिनियम 1867
- 19 किशोर न्याय अधिनियम 1986
- 20 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
- 21 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980
- 22 स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
- 23 स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988
- 24 बन्दियों की शिनाख्त अधिनियम 1930
- 25 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980
- 26 विस्फोटक अधिनियम 1884
- 27 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908
- 28 कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984
- 29 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958
- 30 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
- 31 महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिशेष अधिनियम 1986
- 32 भारतीय वन अधिनियम 1927
- 33 वन संरक्षण अधिनियम 1980
- 34 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 2004
- 35 बन्दी न्यायालयों में उपरिथिति अधिनियम 1955
- 36 विष अधिनियम 1919
- 37 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
- 38 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनयम 1994
- 39 रेल अधिनियम 1989
- 40 रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957
- 41 रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966
- 42 पुलिस बल (अधिकारों पर निर्बन्धन ) अधिनियम 1966
- 43 पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922
- 44 राज्य सशस्त्र पुलिस बलों (कानूनों का विस्तार) अधिनियम 1952
- 45 केबिल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995
- 46 ब्याज अधिनियम 1978
- 47 उ० प्र० गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986

|    |   |
|----|---|
| 48 | उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970                         |
| 49 | उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग 1999                                    |
| 50 | उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण नियमावली 1970                       |
| 51 | उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976                           |
| 52 | उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र आरक्षक वर्ग अधिनियम 1948           |
| 53 | उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1983                   |
| 54 | उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979                      |
| 55 | उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम 1944                          |
| 56 | उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) 1991 |
| 57 | उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(अनुशासन और अपील नियमावली) 1999           |
| 58 | उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955                             |
| 59 | उत्तर प्रदेश गोवध नियामावली 1964                                  |
| 60 | उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम 1964                                  |
| 61 | उत्तर प्रदेश गोशाला नियमावली 1964                                 |
| 62 | उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग अधिनियम 1994                            |
| 63 | सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000                                   |
| 64 | सूचना का अधिकार अधिनियम 2005                                      |
| 65 | वित्तीय हस्त पुस्तिका   |
| 66 | समय—समय पर निर्गत शासनादेश  |
| 67 | उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश               |

इसके अतिरिक्त तत् समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्य प्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती है।

## 6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी:-

### 6.1 विभिन्न थानों व अन्य कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख :-

| क्र0<br>सं0 | अभिलेख की प्रकृति                              | उपलब्ध सूचना का विवरण   | इकाई/शाखा जहाँ<br>उपलब्ध होगी    | अवधि जब तक उपलब्ध<br>होगी  |
|-------------|--|---|----------------------------------|--|
| 1           | प्रथम सूचना रिपोर्ट                            | अपराधों के संबंध में दी गई सूचनाएं एवं विवेचक के संबंध में                          | सभी पुलिस थानों पर               | तीन साल  |
| 2           | दैनिकी सामान्य                                 | सभी अभियुक्तों की गिरफतारी पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण की रवानगी वापसी ड्यूटी का विवरण | सभी पुलिस थानों व पुलिस लाइन में | एक साल थाने पर उसके बाद 5 साल तक पुलिस कार्यालय के रिकार्ड रूम में |
| 3           | सभी स्टैपिंग आर्डर                             | पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधिकारी/कर्मचारी दिये गये निर्देशों का विवरण            | सभी शाखा व थानों पर              | स्थायी रूप से रख जाएगा राजपत्रित अधिकारी के आदेश पर ही नष्ट होगी   |
| 4           | भगोड़ा(मफरूर)<br>रजिस्टर                       | सभी फरार अपराधियों का विवरण   | सभी थानों पर                     | स्थायी   |
| 5           | रोकड़ बही                                      | धनराशि की आमद व खर्च का विवरण   | सभी थाने / पुलिस लाइन में        | एक वर्ष थाना इकाई उसके बाद 9 वर्ष तक पुलिस ऑफिस रिकार्ड रूम में    |
| 6           | आरोप पत्र                                      | अभियोगों में प्रेषित पुलिस रिपोर्ट  | सभी पुलिस थाने पर                | एक साल   |
| 7           | चिक खुराक                                      | अभियुक्तों के भोजन व्यय किराया व्यय आदि की प्रतिपूर्ति है                           | सभी थाने पर                      | तीन साल  |
| 8           | 356 दोप्र०सं० के अधीन दोष सिद्ध अपराधी रजिस्टर | उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण  | „                                | जब सभी कैंदियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो                          |

|    |   |   |                             |  |
|----|---|---|-----------------------------|--|
| 9  | 432 द०प्र०सं० के अधीन सशर्त मुक्त किये गये कैदी रिकार्ड रजिस्टर | “   | “                           | “  |
| 10 | गोपनीय सप्ताहिक रिपोर्ट   | थानाक्षेत्र की साम्प्रदायिक राजनैतिक व अन्य गतिविधियों की गोपनीय सूचना  | “                           | एक साल                                     |
| 11 | अपराध रजिस्टर   | थानाक्षेत्र में हुए अपराधिक घटनाओं का विवरण                             | सभी थाने पर                 | पांच साल                                   |
| 12 | चौकीदारों का अपराध नोट बुक                                      | चौकीदारके ग्राम में घटित घटनाओं का विवरण                                | सूची चौकीदारों के पास       | चौकीदार को जबतक नई नोट बुक प्रदान न की जाए |
| 13 | ग्राम अपराध रजिस्टर (रजिस्टर न० ८)                              | उस गांव में घटित होने वाले अपराध का विवरण                               | सभी थानों पर                | स्थायी रूप में                             |
| 14 | डिफाल्टर रजिस्टर  | कर्मचारी की त्रुटि व उसके लिए दी गई हिदायत का अल्लेख                    | सभी थानों / पुलिस लाइन में  | एक साल पूर्ण होने के बाद                   |
| 15 | केस डायरी   | विवेचना में कृत कार्यवाही का विवरण                                      | सभी थानों / विवेचकों के पास | पांच साल                                   |
| 16 | अन्तिम रिपोर्ट  | अभियोग में विवेचनोपरान्त प्रेषित रिपोर्ट                                | सभी थाने पर                 | एक साल                                     |
| 17 | अगुष्ठ छाप रजिस्टर  | अपराधियों का नाम पता जिसका अगुष्ठछाप लिया गया है।                       | सभी थाने पर                 | स्थायी रूप में                             |
| 18 | चिक गैरदस्तान्दाजी  | अहस्तक्षेपीय अपराधों की सूचक  | “                           | तीन साल                                    |
| 19 | गिरोह रजिस्टर   | पंजीकृत गैगो का विवरण   | सभी थाने पर व डीसीआरबी में  | पूर्ण होने के पांच साल तक                  |
| 20 | मरम्मत रजिस्टर  | मरम्मत के लिये प्राप्त धन व उसके व्यय का विवरण                          | सभी थानों पर                | दो साल                                     |
| 21 | जांचोपरान्त 'अ'   | थानाक्षेत्र के दुराचारियों के बाहर जाने पर जारी किया जाने वाला पत्र     | “                           | तीन साल                                    |
| 22 | जांच पर्ची 'ब'  | थानाक्षेत्र में मिलने वाले संदिग्ध आचरण के व्यक्तियों के लिये जारी पत्र | “                           | “  |
| 23 | सूची हिस्ट्रीशीट  | दुराचारियों का विवरण  | “                           | स्थायी रूप से                              |
| 24 | पंचायतनामा जिल्द  | अस्वाभाविक मृत्यु की जांच का विवरण                                      | सभी थानों पर                | एक साल                                     |
| 25 | निरीक्षण पुस्तिका   | निरीक्षण का विवरण   | सभी थानों पर व शाखाओं में   | पांच साल                                   |
| 26 | माल मसरुका रजिस्टर  | चोरी / लूटी गई एवं बरामद सम्पत्ति का विवरण                              | सभी थानों पर                | पांच साल                                   |
| 27 | रिमाण्डशीट पु0प्रपत्र   | अभियुक्तों को रिमाण्ड के लिए अनुरोध पत्र                                | सभी थानों पर                | एक साल                                     |
| 28 | मजिस्ट्रेटों के लिए निरीक्षण पुस्तिका                           | मजिस्ट्रेटों के द्वारा निरीक्षण के दौरान उल्लेख                         | सभी थाने पर                 | पूर्णता से 5 साल तक                        |
| 29 | 109 धारा के अन्तर्गत कार्यवाही                                  | संदिग्ध अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु                                  | “                           | दो वर्ष                                    |
| 30 | 110 सीआरपीसी के   | आधिकारिक अपराधियों को पाबन्द  | “                           | “  |

|    |                                 |  |                          |   |
|----|---------------------------------|--|--------------------------|---|
|    | अन्तर्गत कार्यवाही              | कराने हेतु   |                          |   |
| 31 | थानाध्यक्ष की गोपनीय पुस्तिका   | क्षेत्र की गोपनीय अभिसूचनायें                                    | „                        | स्थाई   |
| 32 | परिपत्र सूचनाओं की फाइल         | समस्त परिपत्र  | सभी कार्यालयों में       | किसी राजपत्रित अधिकारी के नष्ट किये जाने के आदेश तक |
| 36 | परिपत्र अनुदेशों की फाइल        | परिपत्रों संबंधी निर्देश   | „                        | „   |
| 37 | अपराधी जनजातियों का रजिस्टर     | अपराधियों जनजातियों के संबंध में                                 | समस्त थानों पर           | उनके मृत्यु तक                                      |
| 38 | सक्रिय अपराधी रजिस्टर           | क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्षेत्र के सक्रिय अपराधों की सूची | „                        | निगरानी उचित समझे जाने तक                           |
| 39 | आर्डर बुक प्रार्थना पत्र        | प्रार्थना पत्रों की सूची   | „                        | 5 वर्षों तक   |
| 40 | आर्डर बुक न्यायालय              | कोर्ट प्रोसीजर की सूची   | „                        | 5 वर्षों तक   |
| 41 | आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र | प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची                          | „                        | 5 वर्षों तक   |
| 42 | भवन रजिस्टर                     | थाने की खसरा खतौनी व भवनों के संबंध में।                         | „                        | स्थायी  |
| 43 | गुमशुदगी रजिस्टर                | गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में।                                 | „                        | स्थायी  |
| 44 | गिरप्तारी रजिस्टर               | गिरप्तार व्यक्तियों के संबंध में सूचना                           | „                        | 5 वर्षों तक   |
| 45 | जमानत रजिस्टर                   | दी जाने वाली जमानतों का विवरण                                    | „                        | 5 वर्षों तक   |
| 46 | काज लिस्ट रजिस्टर               | न्यायालय द्वारा अभियोजन की तिथियों व कार्यवाही का विवरण          | „                        | 5 वर्षों तक   |
| 47 | जनशिकायत रजिस्टर                | थाना कार्यालय/अन्य कार्यालय में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र   | समस्त थानों/कार्यालय में | 2 वर्षों तक   |
| 48 | किरायेदार सत्यापन रजिस्टर       | क्षेत्र के किरायेदारों के सत्यापन के संबंध में                   | समस्त थानों पर           | स्थायी  |
| 49 | नियुक्ति रजिस्टर                | थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के संबंध में                     | „                        | स्थायी  |
| 50 | अवकाश रजिस्टर                   | आकस्मिक अवकाशों का विवरण   | समस्त कार्यालयों। में    | 1 वर्ष तक   |

## 6.2. क्षेत्राधिकारी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख:-

| क्र0<br>सं0 | अभिलेख की प्रकृति        | उपलब्ध सूचना का विवरण   | इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी  | अवधि जब तक उपलब्ध होगी                   |
|-------------|--------------------------|---|-----------------------------|--|
| 1           | अपराध रजिस्टर            | सर्किल में पंजीकृत अभियोगों व केस डायरियों का संक्षिप्त विवरण | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | 05 वर्ष तक                               |
| 2           | जेड रजिस्टर              | केस डायरियों को न्यायालय भेजने के दिनांक सहित संक्षिप्त विवरण | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | स्थायी                                   |
| 3           | आर्डर बुक प्रार्थना पत्र | प्रार्थना पत्रों की सूची                                      | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | 05 वर्ष तक                               |
| 4           | परिपत्र सूचनाओं की फाइल  | समस्त परिपत्र   | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक |

|   |                                 |   |                             |            |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| 5 | आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र | प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | 05 वर्ष तक |
| 6 | अवकाश रजिस्टर                   | आकस्मिक अवकाशों का विवरण                | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | 01 वर्ष तक |
| 7 | विशेष अपराध पत्रावलियाँ         | विशेष अपराधों का विवरण                  | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | स्थायी     |
| 8 | जाँच पत्रावलियाँ                | शिकायतों की जाँच के संबंध में           | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | 05 वर्ष तक |

### 6.3. अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

| क्र0सं0 | अभिलेख की प्रकृति               | उपलब्ध सूचना का विवरण                                | इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी     | अवधि जब तक उपलब्ध होगी                   |
|---------|---------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1       | आर्डर बुक प्रार्थना पत्र        | प्रार्थना पत्रों की सूची                             | अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | 05 वर्ष तक                               |
| 2       | परिपत्र सूचनाओं की फाइल         | स्मस्त परिपत्र                                       | अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक |
| 3       | आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र | प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची              | अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | 05 वर्ष तक                               |
| 4       | अवकाश रजिस्टर                   | आकस्मिक अवकाशों का विवरण                             | अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | 01 वर्ष तक                               |
| 5       | नियुक्त रजिस्टर                 | क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में | अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | स्थायी                                   |
| 6       | जाँच पत्रावलियाँ                | शिकायतों की जाँच के संबंध में                        | अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | 05 वर्ष तक                               |

### 6.4 पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

| क्र0सं0 | अभिलेख की प्रकृति                          | उपलब्ध सूचना का विवरण                        | इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी      | अवधि जब तक उपलब्ध होगी                   |
|---------|--|--|---------------------------------|--|
| 1       | राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख | राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख   | वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | स्थायी                                   |
| 2       | हिस्ट्रीशीट इन्डेक्स                       | जनपद के दुराचारियों का विवरण                 | वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | स्थायी                                   |
| 3       | पुरस्कार रजिस्टर                           | जनपद के पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सूची | वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | 05 वर्ष तक                               |
| 4       | आर्डर बुक प्रार्थना पत्र                   | प्रार्थना पत्रों की सूची                     | शिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय में    | 05 वर्ष तक                               |
| 5       | परिपत्र सूचनाओं की फाइल                    | स्मस्त परिपत्र                               | प्रधान लिपिक कार्यालय           | अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक |
| 6       | आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र            | प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची      | वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | 05 वर्ष तक                               |
| 7       | अवकाश रजिस्टर                              | आकस्मिक अवकाशों का विवरण                     | वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | 01 वर्ष तक                               |
| 8       | नियुक्त रजिस्टर                            | क्षेत्र के थानों पर नियुक्त                  | वाचक पुलिस अधीक्षक              | स्थायी                                   |

|    |                            | कर्मचारियों के संबंध में                        | कार्यालय में          |              |
|----|----------------------------|---|-----------------------|--------------|
| 9  | सर्विस बुक / चरित्र पंजिका | समस्त रैंकों के कर्मचारियों। के सेवा इतिहास     | प्रधान लिपिक कार्यालय | स्थायी       |
| 10 | कैश बुक / पे-बिल रजिस्टर   | समस्त भुगतानों के लेन-देन के संबंध में          | आंकिक शाखा            | स्थायी       |
| 11 | आकस्मिकता निधि रजिस्टर     | आकस्मिकता निधि पर भारित व्ययों के संबंध में     | आंकिक शाखा            | स्थायी       |
| 12 | स्टाक रजिस्टर              | सामान्य भण्डार की मदों का क्रय व वितरण          | पुलिस लाइन            | स्थायी       |
| 13 | हिन्दी आदेश पुस्तिका       | समस्त आदेश जिनका प्रभाव वित्तीय भार पर पड़ता है | पुलिस लाइन            | 40 वर्षों तक |

#### 7. जनता की परामर्श दात्री समितियां—

जनपदीय पुलिस में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर निति निर्धारण में विचार हेतु निम्नलिखित व्यवस्था विद्यमान है—

| क्र. सं. | समिति का नाम               | समिति का गठन   | भूमिका एवं दायित्व   | गोष्ठियों की आवृत्ति   |
|----------|----------------------------|--|--|------------------------|
| 1        | ग्राम सुरक्षा समिति        | प्रत्येक गांव में 15 से 20 व्यक्तियों की समिति थानाध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है         | गांव में घटित होने वाले अपराध एवं अपराधियों की सूचना पुलिस को देना व अपराधियों से मुकाबला करना | समय-समय पर             |
| 2        | पुलिस पेन्शनर्स बोर्ड      | जनपद के पुलिस पेशनर्स के द्वारा गठित होती है   | पुलिस पेन्शनर्स के कल्याण हेतु पैरवी करना  | त्रैमासिक              |
| 3        | उद्योग बन्धु               | जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के उद्यमियों की बैठक                                    | उद्योगों के विकास में आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु                         | त्रैमासिक              |
| 4        | जिला सड़क सुरक्षा समिति    | जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारियों की समिति | दुर्घटनाओं के निवारण हेतु  | त्रैमासिक              |
| 5        | जिला स्तरीय पत्रकार समिति  | जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद के पत्रकारों की समिति                              | पत्रकारों की पुलिस से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु   | त्रैमासिक              |
| 6        | शांति समिति                | क्षेत्र के सम्भान्त नागरिकों की समिति  | सम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने हेतु  | आवश्यकतानुसार          |
| 7        | मेला समिति                 | मेले से संबंधित सम्भान्त व्यक्तियों की समिति   | प्रमुख मेलों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु   | मेले के आयोजन से पूर्व |
| 8        | सांसद / विधायकगण की गोष्ठी | समस्त सांसद व विधायकगण की गोष्ठी   | शिकायतों के निस्तारण व सुझाव / परामर्श के लिये   | मासिक                  |

#### 8. बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय—

9. पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

#### 10. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की टेलीफोन डायरेक्ट्री :—

##### 11.

जनपद सीतापुर के पुलिस अधिकारियों के टेलीफोन / सी0य०जी0 नम्बर:—

| क्र०सं० | पदनाम                               | निवास का टेलीफोन नम्बर | कार्यालय का टेलीफोन नम्बर | मोबाइल न० (व्यक्तिगत) | सी०य०जी० मोबाइल नम्बर |
|---------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1       | पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।             | 05862-242229           | 05862-248315              | —                     | 9454400309            |
| 2       | पुलिस अधीक्षक उत्तरी, सीतापुर       | 05862-243114           | 05862-248315              | —                     | 9454401118            |
| 3       | अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी, सीतापुर। | 05862-243113           | 05862-248315              | —                     | 9454401119            |
| 4       | क्षेत्राधिकारी नगर                  | —                      | 7839860366                | —                     | 9454401519            |
| 5       | क्षेत्राधिकारी सदर                  | —                      | 7839860367                | —                     | 9454401520            |
| 6       | क्षेत्राधिकारी लहरपुर               | —                      | 7839860368                | —                     | 9454401522            |
| 7       | क्षेत्राधिकारी बिसवां               | —                      | 7839860369                | —                     | 9454401525            |
| 8       | क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद            | —                      | 7839860371                | —                     | 9454401524            |
| 9       | क्षेत्राधिकारी मिश्रित              | —                      | 7839860370                | —                     | 9454401523            |
| 10      | क्षेत्राधिकारी सिघौली               | —                      | 7839860372                | —                     | 9454401521            |
| 11      | प्रतिसार निरीक्षक                   | —                      | —                         | —                     | 9454402398            |
| 12      | कोतवाली नगर                         | —                      | 7839860185                | —                     | 9454404251            |
| 13      | थानाध्यक्ष रामकोट                   | —                      | 7839860204                | —                     | 9454404259            |
| 14      | थानाध्यक्ष खैराबाद                  | —                      | 7839860196                | —                     | 9454404250            |
| 15      | महिला थाना                          | —                      | —                         | —                     | 9454404874            |
| 16      | थानाध्यक्ष महोली                    | —                      | 7839860211                | —                     | 9454404254            |
| 17      | थानाध्यक्ष इ०सु०पुर                 | —                      | 7839860220                | —                     | 9454404248            |
| 18      | थानाध्यक्ष हरगांव                   | —                      | 7839860226                | —                     | 9454404247            |
| 19      | थानाध्यक्ष लहरपुर                   | —                      | 7839860258                | —                     | 9454404252            |
| 20      | थानाध्यक्ष तालगांव                  | —                      | 7839860271                | —                     | 9454404267            |
| 21      | थानाध्यक्ष मानपुर                   | —                      | 7839860266                | —                     | 9454404255            |
| 22      | थानाध्यक्ष बिसवां                   | —                      | 7839860234                | —                     | 9454404246            |
| 23      | थानाध्यक्ष तम्बौर                   | —                      | 7839860247                | —                     | 9454404268            |
| 24      | थानाध्यक्ष रेउसा                    | —                      | 7839860253                | —                     | 9454404262            |
| 25      | थानाध्यक्ष सकरन                     | —                      | 7839860241                | —                     | 9454404264            |
| 26      | थानाध्यक्ष सिघौली                   | —                      | 7839860304                | —                     | 9454404266            |
| 27      | थानाध्यक्ष कमलापुर                  | —                      | 7839860311                | —                     | 9454404249            |
| 28      | थानाध्यक्ष अटरिया                   | —                      | 7839860316                | —                     | 9454404245            |
| 29      | थानाध्यक्ष रामपुर कलां              | —                      | 7839860321                | —                     | 9454404260            |
| 30      | थानाध्यक्ष मिश्रित                  | —                      | 7839860276                | —                     | 9454404256            |
| 31      | थानाध्यक्ष मछरेहटा                  | —                      | 7839860290                | —                     | 9454404253            |
| 32      | थानाध्यक्ष पिसावां                  | —                      | 7839860285                | —                     | 9454404258            |
| 33      | थानाध्यक्ष संदना                    | —                      | 7839860295                | —                     | 9454404265            |
| 34      | थानाध्यक्ष महमूदाबाद                | —                      | 7839860328                | —                     | 9454404257            |

|    |                         |   |            |   |            |
|----|-------------------------|---|------------|---|------------|
| 35 | थानाध्यक्ष थानगांव      | — | 7839860349 | — | 9454404269 |
| 36 | थानाध्यक्ष सदरपुर       | — | 7839860337 | — | 9454404263 |
| 37 | थानाध्यक्ष रामपुर मथुरा | — | 7839860343 | — | 9454404261 |

**10. जनपद सीतापुर के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक—**

**10.1 सशस्त्र व नागरिक पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन:-**

**10.1 अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक**

| क्र०सं० | पद                | वेतनमान/वेतन बैंड | ग्रेड वेतन | पौष्टिक आहार भत्ता | वर्दी धुलाई भत्ता |
|---------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|
| 1       | पुलिस अधीक्षक     | 25040—15600—39100 | 7600       | —                  |                   |
| 2       | अपर पुलिस अधीक्षक | 29500—15600—39100 | 7600       | —                  | —                 |
| 4       | पुलिस उपाधीक्षक   | 23640—15600—39100 | 5400       |                    |                   |
| 5       | प्रतिसार निरीक्षक | 15600—39100       | 5400       | —                  | —                 |
| 7       | उपनिरीक्षक स0पु0  | 9300—34800        | 4600       |                    |                   |
| 8       | हे०का०प्रो० स0पु0 | 9300—34800        | 4600       | —                  | —                 |
| 9—      | हे०का० स0पु0      | 5200—20200        | 2400       |                    |                   |
| 10—     | आ० स0पु0 / ना०पु0 | 5200—20200        | 2000       | —                  | —                 |

**10.2 रेडियो शाखा के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक**

| क्र०सं० | पद                   | वेतनमान/वेतन बैंड | ग्रेड वेतन | पौष्टिक आहार भत्ता | वर्दी धुलाई भत्ता |
|---------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|
| 1       | सहायक रेडियो अधिकारी | 15600—39100       | 7600       | —                  | —                 |
| 2       | रेडियो निरीक्षक      | 9300—34800        | 5400       | —                  | —                 |
| 3       | रेडियो उपनिरीक्षक    | 9300—34800        | 4800       | —                  | —                 |
| 4       | प्रधान परिचालक       | 9300—34800        | 4600       | —                  | —                 |
| 5       | सहायक परिचालक        | 5200—20200        | 2400       | —                  | —                 |
| 6       | कर्मशाखा सहायक       | 5200—20200        | 2000       | —                  | —                 |
| 7       | संदेश वाहक           | 5200—20200        | 1800       | —                  | —                 |

**10.3 फायर सर्विस के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक**

| क्र०सं० | पद                        | वेतनमान/वेतन बैंड | ग्रेड वेतन | पौष्टिक आहार भत्ता | वर्दी भत्ता | वर्दी धुलाई भत्ता |
|---------|---------------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 1       | मुख्य अग्नि शमन अधिकारी   | 15600—39100       | 5400       | —                  | —           | —                 |
| 2       | अग्नि शमन अधिकारी         | 9300—34800        | 4600       | —                  | —           | —                 |
| 3       | अग्नि शमन अधिकारी द्वितीय | 9300—34800        | 4200       | —                  | —           | —                 |
| 4       | फायर सर्विस चालक          | 5200—20200        | 2400       | —                  | —           | —                 |
| 5       | लीडिंग फायर मैन           | 5200—20200        | 2400       | —                  | —           | —                 |

|   |            |            |      |   |   |   |
|---|------------|------------|------|---|---|---|
| 6 | फायर मैन   | 5200—20200 | 2000 | — | — | — |
| 7 | कुक / कहार | 5200—20200 | 1800 | — | — | — |
| 8 | स्वीपर     | 5200—20200 | 1800 | — | — | — |

#### 10.4 लिपिक वर्गीय अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

| क्र0सं0 | पद          | वेतनमान/वेतन बैंड | ग्रेड वेतन | पौष्टिक आहार भत्ता | वर्दी भत्ता | वर्दी धुलाई भत्ता |
|---------|-------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 1       | स्टैनो      | 9300—34800        | 4600       | —                  | —           | —                 |
| 2       | ए0एस0आई0एम0 | 5200—20200        | 2800       | —                  | —           | —                 |

#### 10.5 परिवहन शाखा के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

| क्र0सं0 | पद                | वेतनमान/वेतन बैंड | ग्रेड वेतन | पौष्टिक आहार भत्ता | धुलाई भत्ता | विशेष भत्ता |
|---------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|
| 1       | निरीक्षक एम0टी0   | 9300—34800        | 4600       | —                  | —           | —           |
| 2       | उपनिरीक्षक एम0टी0 | 9300—34800        | 4600       | —                  | —           | —           |
| 3       | मुख्य आरक्षी      | 5200—20200        | 2400       | —                  | —           | —           |
| 4       | आरक्षी चालक       | 5200—20200        | 2000       | —                  | —           | —           |

#### 10.6 स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

| क्र0सं0 | पद                       | वेतनमान/वेतन बैंड | ग्रेड वेतन | पौष्टिक आहार भत्ता | विशेष भत्ता |
|---------|--------------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|
| 1       | पुलिस उपाधीक्षक प्रज्ञान | 15600—39100       | 5400       | —                  | —           |
| 2       | निरीक्षक                 | 9300—34800        | 4600       | —                  | —           |
| 3       | उपनिरीक्षक               | 9300—34800        | 4600       | —                  | —           |
| 4       | मुख्य आरक्षी             | 5200—20200        | 2400       | —                  | —           |
| 5       | आरक्षी                   | 5200—20200        | 2000       | —                  | —           |

### 11. बजट

| क्र0<br>सं0 |    | लेखा शीर्षक/मानक मद   | चालू वित्तीय वर्ष           |        |
|-------------|----|-----------------------|-----------------------------|--------|
|             |    |                       | 2019—2020 दिनांक 12.03.2020 |        |
|             |    |                       | अनुदान                      | व्यय   |
| 1           | 01 | वेतन                  | —                           | —      |
| 2           | 02 | अन्य व्यय सुख सुविधा  | 469000                      | 460228 |
| 3           | 03 | अन्य व्यय कल्याण निधि | 584000                      | 518581 |
| 4           | 04 | मजदूरी व्यय           | 178000                      | 177848 |

|    |    |                                   |           |           |
|----|----|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 5  | 05 | यात्रा भत्ता                      | 25682000  | 25682000  |
| 6  | 06 | स्थानान्तरण यात्रा भत्ता          | 3239000   | 3239000   |
| 7  | 07 | कार्यालय व्यय                     | 549000    | 548783    |
| 8  | 08 | स्वानों का व्यय                   | 116875    | 115794    |
| 9  | 09 | कार्यालय व्यय सीसीटीएनएस          | —         | —         |
| 10 | 10 | कार्यालय व्यय चौकीदार             | —         | —         |
| 11 | 11 | विद्युत देय                       | 22824000  | 22824000  |
| 12 | 12 | जल कर                             | 622000    | 622000    |
| 13 | 13 | लेखन सामग्री का क्रय/छपाई व्यय    | 160000    | 160000    |
| 14 | 14 | फर्नीचर का क्रय एवं मरम्मत        | 91000     | 85685     |
| 15 | 15 | अन्य व्यय कैडेट                   | 1770000   | 1770000   |
| 16 | 16 | पेट्रोल/डीजल का क्रय एवं अनुरक्षण | —         | —         |
| 17 | 17 | व्यावसायिक सेवाओं का व्यय         | 46188470  | 28405271  |
| 18 | 18 | प्रशिक्षण डायल 112                | 599400    | 490362    |
| 19 | 19 | मोटर गाड़िया सर्विसिंग 112        | 3730900   | 3130213   |
| 20 | 20 | गुप्त सेवा व्यय                   | 23200     | 23200     |
| 21 | 21 | विशेष मरम्मत                      | 2700000   | 1379341   |
| 22 | 22 | मशीन साज सज्जा संयत्र             | 1692000   | —         |
| 23 | 23 | व्यावसायिक होमगार्ड               | 121235900 | 121143035 |
| 24 | 24 | रिवार्ड                           | 175000    | 175000    |
| 25 | 25 | किराया उपशुल्क                    | 933000    | 933000    |
| 26 | 26 | लवारिस लाशों व्यय                 | 89100     | 89100     |
| 27 | 27 | विज्ञापन विक्रय व्यय              | 259000    | 259000    |
| 28 | 28 | अवकाश यात्रा भत्ता                | 357000    | 320000    |
| 29 | 29 | प्रशिक्षण व्यय                    | 70122     | 70122     |
| 30 | 30 | कम्प्यूटर अनुरक्षण                | 495430    | 435504    |
| 31 | 31 | चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय         | 12039000  | 12039000  |
| 32 | 32 | वर्दी                             | —         | —         |
| 33 | 33 | यातायात                           | 607659    | 0         |
| 34 | 34 | सहायक अनुदान                      | 67000     | 66984     |

| बजट विवरण(थाना) |    |                                      |         |         |
|-----------------|----|--------------------------------------|---------|---------|
| 01              | 01 | मजदूरी (थाना)                        | 434000  | 434000  |
| 02              | 02 | कार्यालय व्यय (थाना)                 | 883000  | 882269  |
| 03              | 03 | लेखन सामग्री का क्य/छपाई व्यय (थाना) | 294000  | 294000  |
| 04              | 04 | फर्नीचर का क्य एवं मरम्मत (थाना)     | 147000  | 143224  |
| 05              | 05 | टेलीफोन व्यय (थाना)                  | —       | —       |
| 06              | 06 | कम्प्यूटर सीसीटीएनएस                 | 4234000 | 4234000 |
| 07              | 07 | गुप्त सेवा                           | 98000   | 98000   |
| 08              | 08 | वार्षिक मरम्मत (थाना)                | 1040000 | 642641  |
| 09              | 09 | अन्य व्यय रिट विवेचना                | 1386000 | 1036806 |
| 10              | 10 | कम्प्यूटर हार्ड/साफट0 सीसीटीएनएस     | 1494000 | 508246  |

**12. सब्सिडी कार्यक्रम के नियमित कार्यक्रम का ढंग:-**

वर्तमान में विभाग में कोई सब्सिडी कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

**13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्त कर्ताओं का विवरण:-**

शून्य

**14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में सूचनाओं की उपलब्धता:-**

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप में निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के संबंध में अवगत कराया जायेगा।

**15. अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सुविधायें:-**

जनपद मुख्यालय स्तर पर एक जन सूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसके द्वारा निम्नानुसार कार्य सम्पादित किया जाता है।

| क्र0सं0 | कार्य  | कार्यवाही किसके स्तर से   | समयावधि  |
|---------|--|---|--|
| 1       | सूचना प्राप्त करने के इच्छुक नागरिकों से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाते हैं।   | अ0पु0अ0 द0 / संबंधित क्षेत्राधिकारी (यदि मुख्यालय पर नहीं बैठते हैं तो संबंधित थाना प्रभारी) कार्यालय | प्रातः 10 बजे से शाम 1700 बजे तक (राजकीय अवकाशों का छोड़कर )                   |
| 2       | सूचना निरीक्षण करने का स्थान   | उपरोक्त   | उपरोक्त  |
| 3       | सूचना प्रदान किये जाने का स्थान  | उपरोक्त   | विलम्बतम 30 दिन तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में 48 घण्टे |
| 4       | सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि (10 रु0) प्रथम घण्टा, 10 रुपया , प्रथम घण्टा के पश्चात 5 रु0 प्रति 15 मिनट) | पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में नगद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक                        | उपरोक्त  |
| 5       | सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली राशि का विवरण (10 रु0 प्रति आवेदन पत्र और गरीबी                                   | उपरोक्त   | उपरोक्त  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को<br>निःशुल्क) |  |  |
|--|---|--|--|

समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 250 रु0 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना (25000 रु0 अधिक न हो) भी देय होगा।

**16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम:-**

जनपद सीतापुर पुलिस में, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक / लोक प्राधिकारी जनपद सीतापुर द्वारा नोडल अधिकारी जन सूचना एवं सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्त निम्नानुसार की गयी है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी पुलिस अधीक्षक, सीतापुर नामित हैं।

| क्र0<br>सं0 | नोडल जन सूचना अधिकारी का<br>पद            | सहायक जन सूचना अधिकारी<br>का पद  | प्रथम अपीलीय अधिकारी<br>का पद   |
|-------------|---|--|---------------------------------|
| 1           | अपर पुलिस अधीक्षक, (दक्षिणी),<br>सीतापुर। | 1. क्षेत्राधिकारी नगर, सीतापुर।<br><br>2. क्षेत्राधिकारी सदर, सीतापुर।<br><br>3. क्षेत्राधिकारी लहरपुर, सीतापुर।<br><br>4. क्षेत्राधिकारी बिसवां, सीतापुर।<br><br>5. क्षेत्राधिकारी सिधौली, सीतापुर।<br><br>6. क्षेत्राधिकारी मिश्रित, सीतापुर।<br><br>7. क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद, सीतापुर। | पुलिस अधीक्षक,<br>जनपद सीतापुर। |

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार उपरोक्त के अतिरिक्त सूचना अधिकार अधिनियम 05 के अन्तर्गत उत्तर दायित्व निर्धारित करते हुए निम्नानुसार निम्नलिखित अधिकारियों को जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। पूर्व प्रेषित गस्ती आदेश के अनुसार रजिस्ट्रान तैयार कर सूचना शुल्क रसीद एवं सूचना संकलित करने की बुकलेट मेरे रिकार्ड रूम से मंगाना सुनिश्चित करें।

| क्र.<br>स. | कार्यालय का नाम                   | जन सूचना अधिकारी<br>का नाम व पद        | मो0नं0      | सहायक जन सूचना<br>अधिकारी का नाम व पद | मो0नं0     |
|------------|-----------------------------------|--|-------------|---------------------------------------|------------|
| 1.         | कार्यालय पुलिस<br>अधीक्षक सीतापुर | अपर पुलिस अधीक्षक,<br>दक्षिणी सीतापुर। | 9454401119, | क्षेत्राधिकारी नगर                    | 9454401519 |
| 2.         |                                   | "                                      | "           | क्षेत्राधिकारी सदर                    | 9454401520 |
| 3.         |                                   | "                                      | "           | क्षेत्राधिकारी बिसवां                 | 9454401525 |
| 4.         |                                   | "                                      | "           | क्षेत्राधिकारी लहरपुर                 | 9454401522 |
| 5.         |                                   | "                                      | "           | क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद              | 9454401524 |
| 6.         |                                   | "                                      | "           | क्षेत्राधिकारी मिश्रित                | 9454401523 |
| 7.         |                                   | "                                      | "           | क्षेत्राधिकारी सिधौली                 | 9454401521 |

17. अन्य कोई विहित सूचना- शून्य

18.3.2<sup>o</sup>  
( महेन्द्र प्रताप चौहान )  
जन सूचना अधिकारी/  
अपर पुलिस अधीक्षक(दक्षिणी)  
सीतापुर।



Scanned with  
CamScanner